न्यायालय कलेक्टर सागर,जिला सागर

रा.प्र.कमांक– 0006 अ/20(3) वर्ष 2021–22
मौजा– गुरैया प.ह.नं. 122
तहसील सागर जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग कमांक 1, सागर .... आवेदक
विरूद्ध
म.प्र.शासन .... अनावेदक

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 12/11/2021)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन कमांक–1 सागर द्वारा आपचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर स्थित राजस्व भूमि ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा 70.430 हे. भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर को आबंटित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसे जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी सागर को भेजा गया।

अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा प्रकरण नायब तहसीलदार सुरखी को प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। नायब तहसीलदार सुरखी द्वारा प्रकरण कमांक 0001 अ/20(3) वर्ष 2021–22 पंजीबद्ध किया जाकर हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। हल्का पटवारी के प्रतिवेदन अनुसार आपचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर स्थित राजस्व भूमि ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा 70.430 हे. भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर को आबंटित किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई। मौजा गुरैया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 796.73 हे., ग्राम का कुल खाते का क्षेत्रफल 516.36 हे., ग्राम का कुल गैर खाते का क्षेत्रफल 280.37 हे., ग्राम का कुल चरनाई का रकबा 129. 57 हे., ग्राम में चरनोई का 2 प्रतिशत का सुरक्षित रकबा 2.59 हे. से ग्राम 2 प्रतिशत चरनोई का सुरक्षित रकबा रखने के बाद शेष रकबा 126.98 हे. है। नायब तहसीलदार सुरखी द्वारा आपचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर स्थित राजस्व भूमि ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा 70.430 हे. भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर को आबंटित किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी सागर को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा दिनांक 05.10.2021 को प्रकरण में प्रतिवेदन लिखा जाकर इस न्यायालय को भेजा गया है।

प्रकरण न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकरण नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नजूल अधिकारी सागर को प्रेषित किया गया।

कलेक्टर
सागर

नजूल अधिकारी सागर द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 29.10.2021 में प्रतिवेदित किया गया कि जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति की बैठक दिनांक 28.10.2021 में सर्व सम्मति से अनुविभागीय अधिकारी सागर/ नायब तहसीलदार सुरखी से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर स्थित राजस्व भूमि ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा

70.430 हे. भूमि, भूमि म.प्र.नजूल निर्वर्तन नियम 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार – राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई निर्धारण नहीं होने से वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल सागर के नाम से भूमि आबंटन किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया।

अतः नायब तहसीलदार सुरखी, अनुविभागीय अधिकारी सागर एवं नजूल अधिकारी सागर के प्रस्ताव पर मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर जिला सागर की निम्नानुसार भूमि :–

स. क.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.में)	आवंटित रकवा (हे.में)	मद
01	गुरैया	122	590	37.100	12.300	शासकीय चारागाह
			593	40.000	40.000	शासकीय चारागाह
			594	18.130	18.130	शासकीय चरोखर
योग				95.230	70.430	

म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए म.प्र.नजूल निर्वर्तन नियम 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार – राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई निर्धारण नहीं होने से आपचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य उक्त भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर (म.प्र. शासन वन विभाग) को आबंटित की जाती है।

उक्त भूमि के हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। हस्तांतरित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(दीपक आर्य)
कलेक्टर
जिला–सागर

पृ0क्र0/1077/री0कले0/2021 सागर दिनांक 12/11/2021

प्रतिलिपिः–

1. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक–1 सागर की ओर सूचनार्थ।
2. वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ।
3. नजूल अधिकारी सागर को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरूस्ती कराये जाने तथा हस्तांतरित भूमि का अधीपत्य दिलाये जाने तथा संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा अधिपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।
5. अधीक्षक भू–अभिलेख सागर जिला सागर को सूचनार्थ।
6. नायब तहसीलदार सुरखी को आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर